कार्यालय अपीलीय अधिकारी सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय देहरादून

अपील संख्या– 03/2017

अपीलकर्ता:– श्री रघुनाथ सिंह नेगी, पूर्व उपाध्यक्ष, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, निवास– अस्पताल रोड़, विकासनगर, देहरादून।

/बनाम

उत्तरदाता:– लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आदेश

श्री रघुनाथ सिंह नेगी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने संबंधी उनके आवेदन पत्र दिनांक 09 मार्च, 2017 जो लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या 1720 दिनांक 21 अप्रैल, 2017 के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध करा दी गयी हैं।

2– लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से संतुष्ट न होने पर आवेदक श्री रघुनाथ सिंह नेगी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 19 अप्रैल, 2017 को प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता को पत्र संख्या 1786 दिनांक 03 मई, 2017 के माध्यम से सूचित करते हुए दिनांक 16 मई, 2017 को 11.00 बजे पूर्वान्ह सुनवाई हेतु उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था किन्तु अपीलकर्ता सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें अभिलेखों के अनुसार सही हैं। यदि आप सहमत हो तो किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली /अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जाता है।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ0संख्या 1854 /XXV–12/2015, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि:– श्री रघुनाथ सिंह नेगी, पूर्व उपाध्यक्ष, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, निवास– अस्पताल रोड़, विकासनगर, देहरादून।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय अपीलीय अधिकारी सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय देहरादून

अपील संख्या– 03/2017

अपीलकर्ता:– श्री रघुनाथ सिंह नेगी, पूर्व उपाध्यक्ष, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, निवास– अस्पताल रोड़, विकासनगर, देहरादून।

/बनाम

उत्तरदाता:– लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।

<u>आदेश</u>

श्री रघुनाथ सिंह नेगी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने संबंधी उनके आवेदन पत्र दिनांक 09 मार्च, 2017 जो लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या 1720 दिनांक 21 अप्रैल, 2017 के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध करा दी गयी हैं।

2– लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से संतुष्ट न होने पर आवेदक श्री रघुनाथ सिंह नेगी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 19 अप्रैल, 2017 को प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता को पत्र संख्या 1786 दिनांक 03 मई, 2017 के माध्यम से सूचित करते हुए दिनांक 16 मई, 2017 को 11.00 बजे पूर्वान्ह सुनवाई हेतु उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था किन्तु अपीलकर्ता सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें अभिलेखों के अनुसार सही हैं। यदि आप सहमत हो तो किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली /अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जाता है।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी

<u>पृ0संख्या 1854 /XXV–12/2015, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि:– श्री रघुनाथ सिंह नेगी, पूर्व उपाध्यक्ष, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, निवास– अस्पताल रोड़, विकासनगर, देहरादून।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1786 /XXV–12 /2015 देहरादून : दिनांक 03 मई, 2017

सेवा में,

श्री रघुनाथ सिंह नेगी,
पूर्व उपाध्यक्ष,
गढ़वाल मण्डल विकास निगम,
निवास– अस्पताल रोड़, विकासनगर,
जनपद– देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 19 अप्रैल, 2017 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उक्त अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक 16 मई, 2017 की तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः निर्धारित तिथि को समय 11.00 बजे पूर्वान्ह उक्त अपील पर सुनवाई हेतु सचिवालय परिसर योजना भवन, प्रथम तल स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि आप सहमत हो तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली /अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

भवदीय,

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ0संख्या 1786 /XXV–12/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– श्री बी0एस0 रावत, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी

जन संघर्ष मोर्चा
उत्तराखण्ड

रघुनाथ सिंह नेगी
अध्यक्ष
पूर्व उपाध्यक्ष
गढ़वाल मण्डल विकास निगम (GMVN)

निवासः अस्पताल रोड़, विकासनगर
जनपदः देहरादून (उत्तराखण्ड)
फोनः 08979309099
email: rsnegi078@gmail.com

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्लीन चिट प्राप्त

क्रमांक.......................... RECD. दिनांक 19/4/17

सेवा में,
विभागीय अपीलीय अधिकारी / मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राज्य निर्वाचन, उत्तराखण्ड
देहरादून।

विषय:- लो० सू० अ०/ मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा सूचना उपलब्ध न कराये जाने विषयक।

महोदय,

अवगत कराना है कि मेरे द्वारा दिनांक 9/3/17 को 2 (दो) बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र लो० सू० अ०/ मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया गया था, लेकिन एक माह से अधिक समय बीतने के उपरान्त भी लो० सू० अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।

अतः आग्रह है कि अपील पर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक०
- दिनांक 9/3/17 को प्रेषित पत्र की प्रति।

भवदीय
(रघुनाथ सिंह नेगी)

कृ० स० (सा) सेक्शन
कृपया तदनुसार अवगत कराये
24-4-17

S.O. (R)
24/4/17
ACEO

(राधा रतूड़ी)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड
25.4.2017

जन संघर्ष मोर्चा

उत्तराखण्ड

रघुनाथ सिंह नेगी
अध्यक्ष
पूर्व उपाध्यक्ष
गढ़वाल मण्डल विकास निगम (GMVN)

निवासः अस्पताल रोड़, विकासनगर
जनपदः देहरादून (उत्तराखण्ड)
फोन 08979309099
email: rsnegi078@gmail.com

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्लीन चिट प्राप्त

क्रमांक

REGD.

दिनांक 9/3/17

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी / मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय
राज्य निर्वाचन, उत्तराखण्ड
देहरादून।

विषय:- सूचना अधि० अधि० के तहत सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,
कृपया निम्न सूचनायें उपलब्ध कराने का कष्ट करें -

1- 10 फरवरी 2017 को हरिद्वार में आयोजित P.M. श्री मोदी की रैली / जनसभा के मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा आपको प्रेषित रिपोर्ट, आपके द्वारा अनुमति / अनुमति मामले में की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित मातहत अधिकारियों को प्रेषित पत्र, कांग्रेस पार्टी द्वारा आपको प्रेषित शिकायती पत्र, उक्त रैली / जनसभा की अनुमति के न होने के मामले में आप द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित पत्र की प्रतियां, भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे से सम्बन्धित आपको प्रेषित पत्र की प्रतियां व उक्त मामले में की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित रिपोर्ट की प्रतियां,

2- राज्य निर्वाचन, उत्तराखण्ड द्वारा जनपदों में खासतौर पर जनपद हरिद्वार में आचार संहिता के दौरान लगायी गयी धारा 144 से सम्बन्धित दस्तावेज यथा (जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा धारा 144 लागू की गयी तो आपको सूचनार्थ पत्र की प्रतियां।

संलग्नक - आई०पी०ओ० सं० 37F 802424
मूल रूप में।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
रघुनाथ सिंह नेगी

पंजीकृत / दस्ती

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून

अपील संख्याः	A(D)–22823/2016
अपील अन्तर्गत धारा	19 (3) सू. का. अधि. अधिनियम 2005
अपीलकर्ता	श्री बी0सी0 बृजवासी, 6 / 130 तल्ली बमोरी, नवाबी रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल

बनाम

प्रतिवादी

1. लोक सूचना अधिकारी /अनुभाग अधिकारी, कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, 4–सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून

2. विभागीय अपीलीय अधिकारी/अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, 4–सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून

नोटिस

अपीलकर्ता श्री बी0सी0 बृजवासी, द्वारा आयोग को राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) 2005 के द्वारा निस्तारणार्थ अपील प्रार्थना पत्र 26.12.2016 को प्रस्तुत किया गया है. आयोग द्वारा प्रार्थना पत्र को अपील के रूप में सुनवाई हेतु विचार करने के उद्देश्य से **19.04.2017 (बुधवार)** को आयोग कार्यालय, **सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून** में वाद सूची के क्रम के अनुसार **10.30 बजे** से दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाता है.

2. अपीलार्थी द्वारा राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम 2005 के द्वारा नियम–3 और नियम–4 के द्वारा प्राविधानित प्रस्तुत सामग्री को नियम छः के अनुसार प्रतिवादी को पंजीकृत डॉक से/विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है.

3. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा प्रार्थना पत्र की प्रति तथा संलग्न अभिलेखों को प्रतिवादियों को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि वे **19.04.2017** को सुनवाई के समय व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहें. प्रतिवादियों से यह भी अपेक्षित है कि वे इस अपील–मेमोरेण्डम के सापेक्ष अपने पक्ष में निम्नलिखित मूल अभिलेखों के साथ **स्वयं अथवा प्रतिनिधि** उपस्थित हों.

लोक सूचना अधिकारी

अ. अपीलकर्ता/प्रार्थी के मूल प्रार्थना पत्र पर बिंदुवार लिखित उत्तर

ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित मूल आवेदन पत्र व्यवहृत किया गया हो, तथा
स. लोक सूचना अधिकारी के लिए निर्धारित पंजिका
द. लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराये गये सूचना की प्रतियां
ध. विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश की प्रति
न. **नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "क" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य के**

विभागीय अपीलीय अधिकारी

अ. अपील पर बिंदुवार लिखित उत्तर,
ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित विभागीय अपील व्यवहृत की गयी हो, तथा
स. निर्धारित विभागीय अपील पंजिका
द. **नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "ख" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य के**

श्री सेमवाल
ASO सा(
पत्रावली P9
समस्त अभिलेख
तैयार करें
प्रस्तुत करें
BC
20-2-17
P 10

ह0/–
(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सूचना आयुक्त

संख्या 1809/ उ.सू.आ./अपील/2016–17/(CIC) दिनांक : 14.02.2017

प्रतिलिपि

1. श्री बी0सी0 बृजवासी,, 6 / 130 तल्ली बमोरी, नवाबी रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।
2. लोक सूचना अधिकारी /अनुभाग अधिकारी, कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, 4–सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
3. विभागीय अपीलीय अधिकारी/अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, 4–सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
4. विभागीय पत्रावली।

(झरना कमठान)
सचिव

द्वितीय अपील की सुनवाई के समय लोक सूचना अधिकारी आवेदक के द्वितीय अपीलीय पत्र में की गई आपत्तियों के साथ–साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना लिखित अभिकथन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे

(प्रारूप – "क")

1.	सूचना के लिए अनुरोधकर्ता का अनुरोध पत्र उनके कार्यालय को प्राप्त होने की दिनांक	
2.	लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर धारित पंजिका का कमांक जिस स्थान पर पंजीकृत किया गया है	
3.	मांगी गयी सूचनाओं के कुल बिन्दुओं की संख्या	
4.	यदि मांगी गयी सूचना से संबंधित अनुरोध पत्र अंतरित होकर प्राप्त हुआ है तब – (क) अंतरितकर्ता का नाम, पदनाम, पूर्ण पता (ख) अंतरित बिन्दु (ग) पत्रांक व दिनांक जिसके माध्यम से अनुरोध पत्र अंतरित किया गया है	
5.	यदि अनुरोध पत्र के माध्यम से मांगी गयी सूचना किसी अन्य लोक सूचना अधिकारी से संबंधित है तब – (क) संबंधित बिन्दु जिसे अंतरित किया गया है (ख) जिस लोक सूचना अधिकारी को अंतरित किया गया का नाम, पदनाम, व पूर्ण पता. (ग) जिस पत्रांक व दिनांक के माध्यम से अनुरोध पत्र अंतरित किया गया (घ) पत्र जिस माध्यम से प्रेषित किया गया तथा पत्र डाक / दस्ती / अन्य माध्यम से प्रेषित करने की दिनांक	
6.	यदि मांगी गयी सूचना हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क मांगा गया है तब– (क) अतिरिक्त शुल्क की मांग जिस पत्र संख्या व दिनांक के माध्यम से की गई (ख) कुल मांगी गयी धनराशि (ग) अतिरिक्त शुल्क का मांग पत्र जिस माध्यम से प्रेषित किया गया (घ) अतिरिक्त शुल्क के प्राप्ति की तिथि व धनराशि (ड़) अतिरिक्त शुल्क मांगने में यदि विलम्ब हुआ है तब विलम्ब का औचित्यपूर्ण कारण	
7.	यदि मांगी गयी सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित है अथवा किसी की निजी सूचना है तब – (क) तृतीय पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रेषित पत्रांक व दिनांक (ख) तृतीय पक्ष का प्रतिउत्तर प्राप्त होने की तिथि (ग) लोक सूचना अधिकारी द्वारा तृतीय पक्ष को अपने निर्णय से अवगत कराए जाने संबंधी पत्रांक व दिनांक का विवरण	
8.	आवेदक को सूचना प्रेषित किए जाने की दिनांक, पत्र जिस माध्यम से आवेदक को प्रेषित किया गया है,	
9.	आवेदक जिसके द्वारा सूचना मांगी गयी है को 30 दिन के अन्दर यदि सूचना प्रेषित नहीं की गयी है तब प्रेषित न किए जाने का औचित्यपूर्ण कारण	
10.	आवेदन प्राप्त होने की तिथि से आयोग में द्वितीय सुनवाई के मध्य यदि लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन एक से अधिक अधिकारियों के द्वारा किया गया है तब संबंधित लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम, कब से कब तक लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों का निवर्हन किया गया, वर्तमान में किस पद व स्थान पर कार्यरत हैं	

लोक सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर..............................

नाम ....

पदनाम ....

पूर्ण पता ....

दूरभाष / फैक्स न0 / मो0न0..............................

ई–मेल आई.डी...............................

नोट -- उपरोक्त विवरण का साक्ष्य भी सुनवाई के समय आयोग के समक्ष अवश्य प्रस्तुत किए जाएं। साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने पर उपरोक्त विवरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सेवा में,

26 DEC 2016
13086

मा० मुख्य सूचना आयुक्त महोदय
मा० उत्तराखंड सूचना आयोग (देहरादून)

विषय - [द्वितीय अपील अंतर्गत सू० अ० अ० 2005]

(I) लोक सूचना अधिकारी निर्वाचन (उत्तराखंड शासन)
(II) प्रथम अपीलीय अधिकारी (निर्वाचन) उत्तराखंड शासन
(III) डिम्ड-लोक सूचना अधिकारी (कार्मिक) उत्तराखंड शासन
(IV) डिम्ड-लोक सूचना अधिकारी (जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल

6(3)	FAO	KOF
RIO	LO	Secy.
18	P.S.	Dy. Secy.

महोदय,

(1) अपीलकर्ता ने (5) बिन्दुओं पर सूचना चाहने हेतु लो० सू० अ० (निर्वाचन) को अनुरोध पत्र 13-10-2016 प्रस्तुत किया संलग्नक (1)

(2) लो० सू० अ० निर्वाचन ने भ्रामक / अपूर्ण सूचना दी जो संलग्नक (2) है

(3) बिन्दु संख्या (2)(3)(5), (4) की सूचना भी डिम्ड लोक सूचना अधिकारियों ने भी नहीं दी

(4) कार्मिक विभाग उत्तराखंड शासन के लोक सूचना अधिकारी ने 3-11-2016 के पत्र द्वारा अवगत कराया कि बिन्दु (1) से (5) तक की सूचना निर्वाचन विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा दी जानी है संलग्नक (3)

(5) अपीलकर्ता द्वारा 2-11-2016 को प्रथम अपील करने के पश्चात भी चाही गयी सूचना प्राप्त नहीं हुयी संलग्नक संख्या (4)

अतः मा० आयोग से निवेदन है कि ...

अपीलकर्ता के सूचना के अनुरोध पत्र 13-10-2016 के (5) बिन्दुओं पर चाही गयी सूचना धारा 7(6) के तहत निःशुल्क प्रदान कराने की कृपा की जावें!

दि० 15-12-2016

अपीलकर्ता

बी० सी० बृजवासी
पता - 6/130 तल्ली बमोरी
नवाबी रोड (हल्द्वानी)
नैनीताल

और
and
under.
ल आर्डर
₹ 10
STAL ORDER
अदा करना
whom payable
किस डाकघर में
At what Office
क्या इसे क्रास किया है
Whether crossed
भेजने की तारीख
Date sent
33F 853862

SP HALDWANI HO (263139)
EM/61.1.671.5022IN
Counter No:1,OP-Code:01
To:PRAMUKH SACHIV,
DEHRADUN, PIN:248001
From:BHASKAR CH, ,
Wt:25gms,
PS:30.00, ,13/10/2016 ,10:25
Taxes:Rs.5.00<Track on www.indiapost.gov
India Post

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख सचिव (निर्वाचन)
उत्तराखंड शासन - देहरादून

विषय- आवेदन अन्तर्गत सू०अ०अ० 2005

महोदय, प्रार्थी आपके समक्ष 10 रुपया आवेदन शुल्क प्रस्तुत करके निम्न सूचना चाहता है! जिसका विवरण निम्नवत प्रस्तुत है!

1-: अरविन्द चौहान एवं भास्कर चन्द्र के प्रार्थना पत्र 3-10-2016 जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत का निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखंड शासन के माध्यम से प्रेषित है, जो मनीष कुमार वरिष्ठ पी०सी०एस० अधिकारी को नैनीताल जनपद से हटाये जाने विषयक है उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही की सम्पूर्ण सूचना तथा निर्वाचन अनुभाग उत्तराखंड शासन के अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रति दी जाये!

2-: अपनी सेवा के लगभग 22 वर्ष मे से करीब 16 वर्ष की सेवा अवधि नैनीताल जनपद के विभिन्न प्रशासनिक पदो जैसे (नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी) महाप्रबन्धक कु०म०वि०नि०, अपर आयुक्त नैनीताल, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी (नैनीताल) निदेशक डेयरी विकास हल्द्वानी (नैनीताल) तथा वर्तमान मे सचिव झील विकास प्राधिकरण नैनीताल पद मे तैनात वरिष्ठ पी०सी०एस० अधिकारी मनीष कुमार को जनपद नैनीताल से स्थानान्तरित किये जाने के सन्दर्भ में प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखंड शासन तथा सचिव (कार्मिक) उत्तराखंड शासन द्वारा कोई कार्यवाही/निर्णय/आदेश पारित किया जा रहा है तो उसकी प्रमाणित प्रति को दी जाये! अगर कोई कार्यवाही/निर्णय/आदेश पारित नही किया जा रहा है तो उसका भी खुलाशा करते हुये पूर्ण/स्पष्ट अभिलेखिय सूचना कारणो सहित प्रदान की जाये!

3 -: मनीष कुमार सचिव झील विकास प्राधिकरण नैनीताल को उनकी सेवा के करीब २२ वर्षों मे से 16 वर्ष तक उत्तराखंड सरकार द्वारा शासन के जिस स्थानांतरण नियम के तहत बार-२ मात्र जनपद नैनीताल के ही विभिन्न अनुभागो / कार्यालयो के ही प्रशासनिक पदो मे ही तैनाती दी जाती रही है, शासन के उस स्थानांतरण नियमो / शासनादेशो की प्रमाणित प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करायी जाये !

4 -: जनपद नैनीताल मे तैनात उन सभी प्रशासनिक - अधिकारीयो / निर्वाचन से जुडे अधिकारीयो के नाम पते / पदनामो की सूचना दी जाये जो पिछले विधान सभा व लोक- सभा चुनावो मे भी नैनीताल जनपद मे तैनात रहे थे तथा वर्तमान मे भी नैनीताल जनपद के विभिन्न कार्यालयो मे तैनात है ! जिनका स्थानांतरण उत्तराखंड शासन द्वारा चुनाव आयोग के निर्देश के पश्चात भी नही किया जा रहा है ! इन अधिकारीयो को स्थानांतरित करने के लिये प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखंड शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है तो उसकी भी अभिलेखिय सूचना प्रार्थी को प्रदान की जाये !

5 -: मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल के पद से स्थानांतरित श्री ललित मोहन रयाल का स्थानांतरण जनपद नैनीताल मे ही निदेशक डेयरी विकास (हल्द्वानी) नैनीताल पद मे करने व नैनीताल जनपद से चुनाव आयोग के निर्देश के पश्चात भी स्थानांतरित नही करने के प्रकरण पर प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखंड शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है तो सूचना दी जाये। अगर नही की जा रही है तो उन कारणो का खुलाशा करते हुये पूर्ण व स्पष्ट अभिलेखिय सूचना दी जाये !

संलग्नक
आवेदन शुल्क 10 रुपया आई०पी०ओ० द्वारा प्रस्तुत है

प्रार्थी
बी॰सी॰ बृजवासी
(पत्रकार)
पता- 6/130 तल्ली बमोरी, रेलवे रोड हल्द्वानी (नैनीताल)

दिनांक → 13-10-2016

संलग्नक (3)

लप . मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
– सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1179/XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 21 सितम्बर, 2016

सेवा में,

श्री बी0सी0 बृजवासी, (पत्रकार),
पत्ता–6/130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़,
हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है:–

1. बिन्दु संख्या–01 के द्वारा वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक विभाग से संबंधित होने के फलस्वरूप सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया गया है।
2. बिन्दु संख्या–02, 03 एवं 05 में चाही गयी सूचना उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक विभाग से संबंधित है तद्नुसार प्रकरण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया गया है।
3. बिन्दु संख्या–04 मे चाही गयी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, नैनीताल से संबंधित होने के फलस्वरूप सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया गया है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
04–सुभाष रोड़,सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

~~संलग्न–यथोपरि~~।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

ालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 271201-, 2713724

संख्या /XXV–12 (1–5)/2008 देहरादून : दिनांक 21 अक्टूबर, 2016

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
जिला निर्वाचन कार्यालय,
नैनीताल, उत्तराखण्ड।

विषयः– <u>सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री बी0सी0 बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता–6/130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 31 अगस्त, 2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा बिन्दु संख्या– 04 के माध्यम से वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

<u>पृ0संख्या 1177/XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।</u>
प्रतिलिपिः– श्री बी0सी0 बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता–6/130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक अनुभाग–1

संख्या–RTI 166 /XXX–1–16–50(85)16

देहरादून : दिनांक 08 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2016

लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी,
निर्वाचन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत श्री बी0 सी0 बृजवासी (पत्रकार) पता–6/130, तल्ली बमोरी, नबाबी रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल का अनुरोध पत्र दिनांक 13.10.2016 जो आपके कार्यालय द्वारा अन्तरित होकर अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 24.10.2016 को प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सूचना के अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या 01 से 05 द्वारा वांछित सूचना आपके विभाग से सम्बन्धित है। अतः श्री बी0 सी0 बृजवासी का अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत पुनः इस आशय से अन्तरित किया जा रहा है कि अनुरोधकर्ता द्वारा वांछित सूचना अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(महावीर सिंह)
उप सचिव/लोक सूचना अधिकारी

संख्या–RTI 166 /XXX–1–16–50(85)16, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : श्री बी0 सी0 बृजवासी (पत्रकार)पत्ता–6/130 तल्ली बमोरी नबाबी रोड हल्द्वानी जिला नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

Mahavir Singh

(महावीर सिंह)
उप सचिव/लोक सूचना अधिकारी

संलग्नक (4) प्रथम अपील

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी / प्रथम
अपीलीय अधिकारी महोदय
उत्तराखंड शासन – देहरादून

विषय: प्रथम अपील अंतर्गत धारा (19) सू० अ० अ० 2005

महोदय,

1) अपीलकर्ता के सूचना के अनुरोध पत्र 13-10-2016 के क्रम में अपीलकर्ता को अपूर्ण सूचना प्रदान की गयी है! संलग्नक (1)(2)

2) अपीलकर्ता के अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या (1) के क्रम में कार्यवाही की सूचना प्रदान की जाये, प्रार्थनापत्र पर कार्यवाही के आदेश टिप्पणी / निर्णय की सूचना दी जाये

3) बिन्दु संख्या (2), (3), (4) (5) में चाही गयी सूचना भी प्रदान नहीं की गयी है, उसे प्रदान कराया जाये

अपीलकर्ता

दि० 2-11-2016

बी० एल० वृजवासी
पता: 6/130 तल्ली-बमौरी
नवाबी रोड (हल्द्वानी)
(नैनीताल)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

...लय अपीलीय अधिका... ...य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय देहरादून

...ल संख्या– 02/2016

अपीलकर्ताः– श्री बी0सी0 बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता–6/130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

बनाम

उत्तरदाताः– लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आदेश

श्री बी0सी0 बृजवासी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने संबंधी उनके आवेदन पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2016, जो लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से वांछित सूचनायें (बिन्दु संख्यां 01 से 05 तक) लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या 1177, 1178 दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 के द्वारा कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं जिला निर्वाचन कार्यालय, नैनीताल को हस्तान्तरित करते हुए पत्र संख्या 1179 दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध करा दी गयी हैं।

2– लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से संतुष्ट न होने पर आवेदक श्री बी0सी0 बृजवासी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 02 नवम्बर, 2016 को प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता को पत्र संख्या 1340 दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के माध्यम से सूचित करते हुए दिनांक 25 नवम्बर, 2016 को 12.00 बजे दिन सुनवाई हेतु उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था किन्तु अपीलकर्ता सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें अभिलेखों के अनुसार सही हैं। यदि आप सहमत हो तो किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली /अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जाता है।

(एस.ए. मुरूगेशन)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ0संख्या 1395 /XXV–12/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– श्री बी0सी0 बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता–6/130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

(एस.ए. मुरूगेशन)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी